NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 25 Nov, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	गोवा सरकार ने राज्य में बाघों की 'स्थायी' उपस्थिति पर यू-टर्न लिया
Page 03 Syllabus : GS 3 : Science and Tech / Prelims	जापानी प्रतिनिधिमंडल ने चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स मिशन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसरो का दौरा किया
Page 04 Syllabus : Prelims	जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
Page 06 Syllabus : Prelims	नौसेना को मिला 'साइलेंट हंटर', 80 फीसदी देश में उगाए गए माहे
Page 10 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	अपनी हवा को साफ करने के भारत के प्रयासों में सड़क की धूल कहां बसती है?
Page 10 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Indian Polity	सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय का क्या मतलब है?

Page 01 : GS 3 : Environment / Prelims

बाघों की उपस्थिति पर गोवा सरकार के परस्पर विरोधी दावों के बारे में हालिया विवाद ने वन्यजीव संरक्षण, अंतर-राज्यीय पारिस्थितिक गलियारों और बाघ अभयारण्यों को घोषित करने की राजनीति पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

Goa government does a U-turn on 'permanent' tiger presence in State

Jacob Koshy
NEW DELHI

The answer to whether tigers "reside" in Goa depends on who is asking the question. The Goa Government, earlier this year, argued before a Supreme Court-appointed committee that there was "...no permanent presence of tigers" in the State.

However, in a separate matter concerning a dispute involving Goa, Karnataka and Maharashtra over the sharing of water from the Mahadayi river in Goa, it stated the opposite.

"...The State of Goa states that there is evidence to show that tigers in Goa are not merely transient animals, but are a resident population, and the forests around Chorla, Mann and Kankumbi comprise a contiguous tiger landscape corridor, to the Bhimgad Wildlife Sanctuary in Karnataka to its south-east and the Anshi Dandeli Tiger Reserve to its south that has around 35 tigers." The latter appears in a 2018 report of the Mahadayi Water Disputes Tribunal. "Thus, were the flow of Mahadayi river to be impeded," Goa argued," it would impact the prey base as well as tiger ecosystem".

The issue of tiger presence (or absence) in Goa has come to the fore following the Goa government challenging a July 2023 order of the Bombay High Court that directed the State to declare the Mhadei sanctuary and other connected regions – as recommended by the National Tiger Conservation Authority (NTCA, the nodal Central body tasked with overseeing tiger conservation) – a 'tiger reserve' within three months.

The Goa government says only three tigers were found through 'camera trapping' during the NTCA survey of 2018. PTI

The Goa government filed a special leave petition (SLP) in the Supreme Court challenging this order. Its core arguments in the SLP are that, as per the NTCA guidelines, an area of 800-1,000 sq. kms would have to be declared an inviolate space for a tiger reserve. The area already under protection in the State, in the form of parks and sanctuaries, added up to 745 sq. km. "Therefore, to declare an area larger than the already protected area an inviolate space would be an aberration."

Secondly, the area that would have to be declared a tiger reserve had a "huge population" of about 1,00,000 individuals spread across several villages. Given the paucity of alternative areas to settle them and the 'unwillingness' of this resident population, the move could translate to social unrest.

In terms of tiger presence, it argued that only three tigers were found through 'camera trapping' during the NTCA's tiger estimation survey of 2018. There was "no evidence" that these tigers were "residents" of the area; there were no cubs or young animals either.

"The protected area is only a corridor whereby the tigers transit from Maharashtra to Karnataka or *vice versa*, and the area of Mhadei is only a route, which is used by tigers to transit," the State argued in its petition. "Such 'transitory presence' of tigers in Mhadei was due to very few deer (as prey), and thus, declaring Mhadei sanctuary as a reserve... would not serve any significant purpose," it said.

SC seeks report

The Supreme Court, this September, directed a Central Empowered Committee of the Union Environment Ministry to hear all the "stakeholders" in the matter and submit a report in "six weeks." The Committee has reportedly sought an extension to file this.

The case traces back to 2011, when the Centre and the NTCA made multiple requests to the State of Goa to notify Mhadei Wildlife Sanctuary (WLS) and certain other adjacent areas as a tiger reserve. But this did not happen.

In January 2021, four tigers were found poisoned following which the Goa Foundation, a non-profit, filed a petition for the region to be declared a tiger reserve. Doing so puts the onus on the State to improve protection measures for conservation of animals.

On September 8, 2025, after counsel for the Goa Foundation informed the top court that some proposals for resorts were being approved in the proposed tiger reserve, the court stayed all such activity till final order and judgment.

मुख्य विश्लेषण

1. मुद्दे की पृष्ठभूमि

- 2011 के बाद से, केंद्र और एनटीसीए ने गोवा में म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की है।
- बाघों की आवाजाही के बार-बार साक्ष्य मिलने के बावजूद गोवा ने लगातार अधिसूचना से परहेज किया है।
- 2021 में चार बाघों को जहर दिए जाने के बाद मामला बढ़ गया, जिसके बाद गोवा फाउंडेशन को अदालतों में याचिका दायर करनी पड़ी।
- जुलाई 2023 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा को 3 महीने के भीतर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया।
- गोवा ने इस आदेश को एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

2. गोवा की विरोधाभासी स्थिति

पद 1: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष (2023-24)

- "गोवा में बाघों की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं है।
- 2018 के एनटीसीए कैमरा-ट्रैप सर्वे में सिर्फ 3 बाघों को कैद किया गया।
- इसलिए कोई शावक प्रजनन □□□□□ □□□□ →।
- म्हादेई क्षेत्र केवल एक पारगमन गलियारा है, निवास स्थान नहीं।

स्थिति 2: महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (2018) के समक्ष

- गोवा ने इसके विपरीत तर्क दिया:
    - गोवा में बाघ निवासी हैं, न कि केवल क्षणिक।
    - म्हादेई-भीमगढ़-अंशी-दांदेली एक सन्निहित बाघ परिदृश्य बनाता है।
    - महादयी नदी के प्रवाह में कोई भी बदलाव बाघ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा।

निहितार्थ

इस असंगति से पता चलता है कि कैसे राज्य सरकारें राजनीतिक या कानूनी सुविधा के आधार पर पारिस्थितिक आख्यानों को बदल सकती हैं - जल विवाद बनाम भूमि-उपयोग निर्णय।

3. टाइगर रिजर्व के खिलाफ गोवा की एसएलपी में मुख्य तर्क

A. पारिस्थितिक आधार उद्धृत

- एनटीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार टाइगर रिजर्व के लिए 800-1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
- गोवा का संरक्षित क्षेत्र केवल 745 वर्ग किमी है, इसलिए "अनुल्लंघनीय क्षेत्र" नहीं बनाया जा सकता है।

B. सामाजिक और प्रशासनिक आधार

- प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं।
- पुनर्वास स्थान सीमित है और समुदाय अनिच्छुक हैं।

- सामाजिक अशांति और प्रशासनिक बोझ की आशंका।

C. वैज्ञानिक आधार

- न्यूनतम कैमरा-ट्रैप दृश्य; शावकों की कमी।
- कम शिकार आधार (कुछ हिरण)।
- क्षेत्र को रिजर्व घोषित करने से "कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं होगा"।

4. केंद्र-राज्य गतिशीलता और न्यायिक निरीक्षण

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को सभी मुद्दों की जांच करने का निर्देश दिया है।
- सीईसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है।
- शीर्ष अदालत ने प्रस्तावित आरक्षित क्षेत्र में सभी निर्माण और रिसॉर्ट मंजूरियों पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है।

यह न्यायिक सक्रियता को निम्नलिखित में उजागर करता है:

- पर्यावरण संरक्षण
- वन्यजीव दावों में वैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित करना
- अंतिम निर्णय लंबित रहने तक वाणिज्यिक शोषण को रोकना

5. व्यापक पर्यावरण और शासन निहितार्थ

A. पारिस्थितिक गलियारे

- यह क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता है
    - भीमगढ़ डब्ल्यूएलएस (कर्नाटक)
    - अंशी-दांदेली टाइगर रिजर्व (कर्नाटक)
    - म्हादेई डब्ल्यूएलएस (गोवा)
- किसी भी विखंडन से पश्चिमी घाट में बाघों की आवाजाही को खतरा हो सकता है, जो वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।

बी. मानव-वन्यजीव संघर्ष और सामुदायिक अधिकार

- पूरे भारत में स्थानांतरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है (मेलघाट, सरिस्का, नागरहोल में देखा जाता है)।
- आदिवासी और ग्रामीण आजीविका के साथ संरक्षण जनादेश को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण शासन चुनौती बनी हुई है।

C. राज्य प्रोत्साहन

- टाइगर रिजर्व घोषित करने से निम्नलिखित शामिल हैं:
    - उच्च केंद्रीय वित्त पोषण
    - सख्त भूमि-उपयोग प्रतिबंध

- राज्य के भीतर पर्यटन और खनन लॉबी अनिच्छा को प्रभावित कर सकती है।

D. संस्थागत मुद्दे

- के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया:
  - राज्य एजेंसियों द्वारा परस्पर विरोधी प्रस्तुतियाँ
  - अद्यतन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का अभाव
  - NTCA सिफारिशों के लिए धीमी प्रशासनिक प्रतिक्रिया

समाप्ति

गोवा टाइगर रिजर्व विवाद विकासात्मक प्राथमिकताओं, पारिस्थितिक अनिवार्यताओं और राजनीतिक गणनाओं के बीच व्यापक तनाव को दर्शाता है। राज्य के विरोधाभासी दावे पर्यावरण मुकदमेबाजी में पारदर्शी, विज्ञान-आधारित आकलन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चल रही निगरानी यह सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है कि बाघ संरक्षण के फैसले प्रशासनिक सुविधा के बजाय पारिस्थितिक अखंडता में निहित हैं। अंतिम निर्णय संभवतः एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा कि राज्यों को संघीय शासन ढांचे के भीतर वन्यजीव संरक्षण जनादेश को कैसे उचित ठहराना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में बाघ संरक्षण व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन केवल राज्य सरकार ही इसे अधिसूचित कर सकती है।

2. टाइगर रिजर्व की घोषणा करने के लिए कोर क्षेत्र से सभी गांवों को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

3. सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावित टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: गोवा टाइगर रिजर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत में वन्यजीव संरक्षण को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

Page 03 : GS 3 : Science and Tech / Prelims

भारत और जापान चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स मिशन के माध्यम से अपने अंतरिक्ष सहयोग को गहरा कर रहे हैं, जो इसरो और जाक्सा द्वारा की जा रही एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण पहल है। एक उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल की इसरो सुविधाओं का हाल ही में दौरा बढ़ती भारत-जापान तकनीकी साझेदारी और भारत के महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक चंद्र लक्ष्यों को दर्शाता है, जिसमें चंद्र नमूना-वापसी मिशन और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजना शामिल है। यह सहयोग जीएस-3 (विज्ञान और तकनीक), भारत-जापान संबंधों और अंतरिक्ष कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

Japanese delegation visits ISRO to review status of Chandrayaan-5/LuPEX mission

The Hindu Bureau
BENGALURU

A Japanese delegation recently held discussions with the senior leadership of the Indian Space Research Organisation (ISRO) and visited the facilities of the space agency to review the status of the Chandrayaan-5/LuPEX mission and explore future opportunities.

The Vice-Chair of Japan's Cabinet Committee on National Space Policy Saku Tsuneta called on ISRO Chairman V. Narayanan on November 21 to discuss the status of the Chandrayaan-5/ LuPEX, which is a Joint Lunar Polar Exploration mission between the ISRO and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Progress check: The Japanese delegation with ISRO Chairman V. Narayanan at the headquarters in Bengaluru. SPECIAL ARRANGEMENT

The Chandrayaan-5 LuPEX mission is the fifth mission in the Chandrayaan series of lunar missions to study the lunar volatile materials, including lunar water, in the vicinity of a Permanently Shadowed Region in the lunar South pole.

According to the ISRO, the mission will be launched by JAXA onboard its H3-24L launch vehicle, carrying the ISRO-made lunar lander, which will carry the MHI, Japan-made lunar rover.

The ISRO is also responsible for developing a few scientific instruments for the mission.

The LUPEX will be a precursor to the ISRO's lunar sample return mission and for sending the first Indian to the moon by 2040.

The Japanese delegation also explored potential opportunities to work together in the field of robotic arm for space stations, launching of scientific satellites, and in supporting researchers and private companies from both nations for joint activities.

मुख्य विश्लेषण

1. चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स क्या है?

- लुपेक्स (लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन) इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है।
- उद्देश्य: चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों (PSR) का पता लगाना, जहां पानी की बर्फ मौजूद मानी जाती है।
- वैज्ञानिक लक्ष्य:
    - चंद्र वाष्पशील (विशेषकर पानी) का अध्ययन करें।
    - ध्रुवीय भूभाग की विशेषता बताइए।
    - अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में लंबी अवधि के संचालन का परीक्षण करें।

यह मिशन चंद्रयान -3 की सफलता के बाद भारत के चंद्र अन्वेषण को जारी रखता है और भारत को चंद्र विज्ञान के अधिक उन्नत, संसाधन-केंद्रित चरण में ले जाता है।

2. इसरो और जाक्सा की जिम्मेदारियां

जापान (JAXA)

- मिशन को अपने H3-24L लॉन्च वाहन पर लॉन्च करेगा।
- एमएचआई निर्मित चंद्र रोवर प्रदान करेगा।

भारत (इसरो)

- चंद्र लैंडर विकसित करेगा।
- मिशन के लिए प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों को डिजाइन करेगा।
- नेविगेशन, लैंडिंग नियंत्रण और सतह संचालन का संचालन करेगा।

जिम्मेदारियों का यह विभाजन पूरक तकनीकी शक्तियों को प्रदर्शित करता है - जापान की उन्नत भारी-लिफ्ट क्षमता और भारत की सिद्ध लैंडिंग विशेषज्ञता।

3. रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व

A. भारत की भविष्य की चंद्र महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा

- LuPEX इसके अग्रदूत के रूप में काम करेगा:
    - भारत का चंद्र नमूना वापसी मिशन, और
    - 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना (जैसा कि हाल ही में घोषणा की गई है)।

B. वैश्विक प्रासंगिकता

- चंद्र दक्षिणी ध्रुव भविष्य में स्थायी चंद्र उपस्थिति के लिए एक गर्म स्थान है।
- अमेरिका, चीन और रूस सहित देश चंद्र जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- यह मिशन भारत और जापान को इस भू-राजनीतिक और वैज्ञानिक दौड़ में मजबूत सहयोगी हितधारकों के रूप में रखता है।

C. भारत-जापान अंतरिक्ष साझेदारी को मजबूत करना

जापानी प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की भी खोज की:

- अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए रोबोटिक बांह विकास।
- साझा प्लेटफार्मों के माध्यम से वैज्ञानिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करना।
- संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में निजी कंपनियों और शोधकर्ताओं का समर्थन करना।

यह व्यापक भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अनुरूप है और भारत-प्रशांत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।

4. कूटनीति, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र

- यह सहयोग अंतरिक्ष कूटनीति को गहरा करता है, जहां भारत खुद को एक विश्वसनीय, कम लागत, उच्च क्षमता वाले भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
- संयुक्त विकास लागत फैलाता है, जोखिम कम करता है और नवाचार को बढ़ाता है।
- संभावित स्पिलओवर: रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणाली, एआई, सामग्री विज्ञान, क्रायोजेनिक तकनीक।

समाप्ति

जापानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा चंद्रयान-5/ल्यूपेक्स कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत-जापान अंतरिक्ष सहयोग की परिपक्वता को दर्शाती है। यह मिशन न केवल चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण में भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि मानव चंद्र मिशन और नमूना वापसी जैसे दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों में भी योगदान देता है। भारत के लिए, LuPEX कूटनीति, प्रौद्योगिकी और महत्वाकांक्षा के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है - जो इसे भविष्य की चंद्र अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष शासन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के करीब ले जाता है।

□□□□□ □□□□□□

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : **LuPEX (**□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□**)** □□ □□□□□□ □□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ **पर** □□□□□ □□□□:

1. □□□ □□□□□ □□ H3-24L □□□□□ □□□□□□ पर □□□□□ □□□□ □□□□□□

2. □□□□ □□ □□□ □□□□□ JAXA □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□

3. □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□**/**□□ **कथन**□□ □□**/**□□□**?**

(a) □□□□ 1

(b) □□□□ 1 औ**र**

(c) □□□□ 2 औ**र**

(d) 1, 2 औ**र**

□□□□□**: a)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : □□□□□□□□-3 □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ तक □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ ओर□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ **(250** □□□□**)**

□□□□□ □□□□□□

Page : 04 : Prelims

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उनकी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण समय में हुई है, जो 90,000 से अधिक मामलों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले जैसे प्रमुख संवैधानिक मामलों का सामना कर रहा है। अपनी सुलह वाली न्यायिक शैली के लिए पहचाने जाने वाले सीजेआई कांत से उम्मीद की जाती है कि वह समाधान उन्मुख न्यायशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने और न्यायिक तर्क में "भारतीयता" पर जोर देने के साथ अदालत का संचालन करेंगे।

Justice Surya Kant takes oath as 53rd Chief Justice

All eyes on the SIR case and pendency; he is seen as a judge who leans more towards gently nudging disputes to a resolution over time rather than taking a confrontational approach

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Justice Surya Kant took oath as the 53rd Chief Justice of India at the Rashtrapati Bhavan on Monday.

President Droupadi Murmu swore in Justice Kant merely days after Justice Kant, as a member of the 16th Presidential Reference Bench, advised her that neither she nor the State Governors, while dealing with State Bills, are bound by timelines "imposed" by the Supreme Court as in the April 8 judgment in the Tamil Nadu Governor case.

Justice Kant took the oath of office in Hindi.

Both Chief Justice Kant and his immediate predecessor, Justice B.R. Gavai, was recently lauded by Solicitor- General Tushar Mehta for bringing "Indianness" in the courts. Mr. Mehta, in his address, highlighted that their judgment did not refer to foreign precedents of law and drew their reasonings from Indian case laws and legal principles in their verdicts.

President Droupadi Murmu administers the oath of office to Justice Surya Kant as the 53rd Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan.

Chief Justice Kant was appointed to the Supreme Court on the same day as Justice Gavai, on May 24, 2019.

After the oath ceremony, in an act of camaraderieship and respect for the office, Justice Gavai reserved the official vehicle designated for the Chief Justice of India for Chief Justice Kant, ensuring that his successor's maiden journey to the Supreme Court as CJI was in the official car itself.

The Chief Justice is seen as a judge who leans more towards gently nudging disputes to a resolution over time rather than taking a confrontational approach. Justice (as he was then) Kant had resolved the farmers' agitation from the Bench by prodding both sides – the protesting farmers and the Union government – to the negotiating table at a critical point when matters were spiralling with farmers' leaders on an indefinite strike on the borders of Delhi.

Close watch on SIR

Chief Justice Kant's tenure would be closely watched for his handling of the Special Intensive Revision (SIR) case. So far, the judicial interventions of his Bench have made the SIR procedure accessible to citizens. But it is yet to take up the basic issue of whether the exercise itself is constitutional or not. Meanwhile, the SIR has expanded from Bihar to its second phase to 12 States and Union Territories and covering 51 crore people.

Justice Kant has been a part of several impactful decisions of the apex court, including the abrogation of Article 370 of the Constitution which removed the special status to the erstwhile State of Jammu & Kashmir.

Justice Kant was also part of the Bench which held the electoral bonds scheme unconstitutional. He was a member of the Benches which heard the Pegasus spyware case and suspension of the sedition law.

The Chief Justice, who has a tenure of little over a year till his retirement on February 2, 2027, has said his topmost priority would be to bring the pendency of over 90,000 cases in the top court to a manageable number.

मुख्य विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि और शपथ समारोह

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ली, जो संवैधानिक संस्थानों में भारतीय भाषाओं पर जोर देने का प्रतीक है।
- उनकी नियुक्ति 16 वीं राष्ट्रपति संदर्भ पीठ में उनकी भूमिका के बाद हुई है, जहां उन्होंने सलाह दी थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्य विधेयकों को संभालते समय न्यायिक रूप से लगाई गई समयसीमा से बंधे नहीं हैं।
- उन्होंने जस्टिस बीआर गवई का स्थान लिया, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से यह सुनिश्चित किया कि आधिकारिक सीजेआई वाहन जस्टिस कांत के लिए आरक्षित था – जो संस्थागत शिष्टाचार का एक कार्य था।

2. न्यायिक दर्शन: "टकराव पर समाधान"

- जस्टिस कांत को एक गैर-प्रतिकूल दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो टकराव वाले मुकदमेबाजी पर बातचीत और मध्यस्थता समझौते को प्राथमिकता देते हैं।

- उदाहरण: किसानों के आंदोलन के दौरान, उन्होंने केंद्र सरकार और किसान समूहों दोनों को बातचीत के लिए प्रेरित किया, जब दिल्ली की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था।

यह दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित कर सकता है कि वह विवादास्पद राजनीतिक और संवैधानिक विवादों को कैसे संभालता है।

3. प्रमुख मामले और न्यायिक योगदान

जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं:

A. अनुच्छेद 370 का फैसला

- जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने वाली पीठ का हिस्सा।

B. इलेक्टोरल बांड निर्णय

- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देने वाली पीठ का हिस्सा।

C. पेगासस स्पाइवेयर केस

- पीठ के माननीय सदस्य ने पेगासस निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया।

D. राजद्रोह कानून का निलंबन

- विचार-विमर्श का एक हिस्सा जिसके कारण धारा 124 ए (राजद्रोह) को स्थगित रखा गया।

ये फैसले संघवाद, गोपनीयता, राजनीतिक वित्त और नागरिक स्वतंत्रता के लिए गहरे प्रभाव वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी को उजागर करते हैं।

4. एसआईआर मामला: सबसे बारीकी से देखा जाने वाला मामला

सर क्या है?

- विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूचियों के बड़े पैमाने पर सत्यापन से संबंधित है।
- बिहार में शुरू हुआ; अब इसका विस्तार 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है, जिसमें 51 करोड़ नागरिक शामिल हैं।

चिंताओं

- संभावित संवैधानिक मुद्दों में शामिल हैं:
    - गोपनीयता
    - संघीय शक्तियां
    - मताधिकार से वंचित होने का खतरा
    - डेटा सटीकता और सुरक्षा उपाय

सीजेआई सूर्यकांत की भूमिका

- उनकी पीठ ने अब तक एसआईआर प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- प्रमुख सवाल यह है कि क्या एसआईआर संवैधानिक है? - निर्णय लिया जाना बाकी है।
- उनका दृष्टिकोण मतदाता सत्यापन और चुनाव सुधारों के भविष्य को आकार देगा।

5. सीजेआई के रूप में प्राथमिकताएं

A. लंबित मामलों को कम करना

- 90,000 से अधिक मामले लंबित होने के साथ, उन्होंने केस प्रबंधन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई है।

- अपेक्षित उपाय:
    - प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग
    - सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं
    - पीठों का त्वरित गठन
    - वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर

B. न्यायिक तर्क में भारतीयता

- न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति गवई की भारतीय मिसालों, कानूनी दर्शन पर भरोसा करने, विदेशी न्यायशास्त्र पर निर्भरता कम करने के लिए सराहना की गई है।

C. संस्थागत सद्भाव

- किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो आम सहमति को बढ़ावा देता है, जिसमें सुधार हो सकता है:
    - बेंच सामंजस्य
    - केंद्र-राज्य न्यायिक समन्वय
    - कॉलेजियम का सुचारू कामकाज

समाप्ति

53वें सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल एक महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सुप्रीम कोर्ट भारी लंबित और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों का सामना कर रहा है। उनकी सहमति से न्यायिक शैली, घरेलू न्यायशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करना, और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पूर्व अनुभव संस्थागत स्थिरता, मामले की दक्षता और संतुलित संवैधानिक व्याख्या की ओर उन्मुख कार्यकाल का सुझाव देता है। वह चल रहे एसआईआर मुकदमेबाजी को कैसे संभालते हैं और न्यायिक बैकलॉग का प्रबंधन करते हैं, यह संभवतः कार्यालय में उनके समय की विरासत को परिभाषित करेगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सीजेआई के लिए पांच साल का निश्चित कार्यकाल प्रदान करता है।

2. सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3. सीजेआई की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता सम्मेलन संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

Page 06 : Prelims

माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) का पहला पोत INS Mahe को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया। 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ, यह जहाज आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास को मजबूत करता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में यह बैठक तीनों सेनाओं के बीच बढ़ती संयुक्तता और पारस्परिकता का प्रतीक है।

Navy gets 'silent hunter', 80% home-grown *Mahe*

Army chief General Upendra Dwivedi launches warship, says 'true strength' of the armed forces lies in 'synergy', adds that Army, Navy and Air Force form 'the trinity of India's strategic strength'

The Hindu Bureau
MUMBAI

INS Mahe, India's first Mahe-class anti-submarine warfare shallow watercraft, was commissioned at the Naval Dockyard by General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff, on Monday.

With over 80% indigenous components, the ship is another step in the Indian Navy's efforts towards achieving self-reliance, the Navy said. The induction was done after long, rigorous trials for over two years, officials said. Due to its stealth and unyielding readiness, *INS Mahe*'s motto is 'Silent Hunters'.

This was the first time an Army chief presided over the commissioning of a naval warship. General Dwivedi said that the true strength of the Indian armed forces lay in synergy among the three services.

"In the age of multi-domain operations, the country's ability to act in concert from the depths of the ocean to the highest frontier will determine the security influence of the Indian Republic," he said, adding that Operation Sindoor showcased the seamless harmony between the services.

INS Mahe, the Mahe-class anti-submarine warfare shallow watercraft at the Naval Dockyard in Mumbai. EMMANUAL YOGINI

Major transformation

The Army chief noted that the force is undergoing a major transformation, with joint-ness and integration serving as key pillars.

"As said by Helen Keller, alone we can do so little. Together we can do so much. So, as a soldier, we are standing among seafarers... The sea, land, and the skies from a single continuum of national security. And together, the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength," General Dwivedi said.

INS Mahe, the lead ship of eight vessels in its class, has been designed and built by Cochin Shipyard Limited.

It will form the first line of coastal defence, integrating seamlessly with larger surface combatants, submarines, and aviation assets to maintain constant vigilance over India's maritime areas of operation.

"Today's ceremony not only marks the induction of a potent new platform to a maritime order of battle, but also reaffirms our nation's increasing capability to design, construct, and field complex combatants with indigenous technology.

This commissioning will significantly augment the Indian Navy's capability to ensure near-sea dominance, strengthen the coastal security grid and safeguard our maritime interests across the vast expanse of our littorals," General Dwivedi said.

Listing out the abilities of the warship, a government statement said, "The ship's combat suite blends multiple systems into a compact yet potent network. She is specially designed to undertake anti-submarine operations in coastal and shallow waters. Fitted with advanced weapons, sensors, and communication systems enabling it to detect, track, and neutralise sub-surface threats with precision, the ship can sustain prolonged operations in shallow waters and features technologically advanced machinery and control systems."

□□□□□ □□□□□□

मुख्य विश्लेषण

1. आईएनएस माहे का रणनीतिक महत्व

ए. तटीय रक्षा को मजबूत करना

- आईएनएस माहे को उथले और तटीय जल में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है:
    - भारत के तटवर्ती इलाकों के पास दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना,
    - संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना,
    - बंदरगाह रक्षा और ईईजेड निगरानी का समर्थन करना।

जन्म। रक्षा की पहली पंक्ति

- जहाज इसके साथ एकीकृत होता है:
    - बड़े सतह लड़ाके,
    - पनडुब्बियों
    - नौसेना विमानन संपत्तियां, एक स्तरित समुद्री सुरक्षा ग्रिड बनाना।

C. स्वदेशी क्षमताएं

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित।
- इसमें उन्नत भारतीय प्रणालियां, सेंसर, संचार वास्तुकला और मशीनरी शामिल हैं।
- पी-15बी विध्वंसक और पी-17ए फ्रिगेट जैसी पहले की परियोजनाओं के बाद जटिल नौसैनिक प्लेटफार्मों को डिजाइन करने में भारत की बढ़ती क्षमता को मजबूत करता है।

2. "साइलेंट हंटर्स": तकनीकी विशेषताएं

- चुपके-बढ़ाया डिजाइन, कम ध्वनिक हस्ताक्षर।
- उन्नत सोनार, युद्ध प्रबंधन प्रणाली और पानी के नीचे का पता लगाने की तकनीक।
- उथले पानी में लंबे समय तक संचालन बनाए रखने की क्षमता।

- विशेष रूप से इसके लिए डिज़ाइन किया गया:
    - उप-सतह खतरों पर नज़र रखना,
    - शत्रुतापूर्ण पानी के नीचे की संपत्ति (जैसे, मिनी-सब, गोताखोर, यूयूवी) को बेअसर करना।

यह हिंद महासागर में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाता है।

3. संयुक्तता और त्रि-सेवा तालमेल

A. ऐतिहासिक क्षण

- पहली बार किसी सेना प्रमुख ने एक नौसैनिक युद्धपोत की कमीशनिंग की अध्यक्षता की - एकीकृत अभियानों की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला।

B. जनरल द्विवेदी का संदेश

- इस बात पर जोर दिया कि सेना, नौसेना और वायु सेना "भारत की रणनीतिक ताकत की त्रिमूर्ति" हैं।
- निर्बाध संयुक्तता के उदाहरण के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को याद किया।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि बहु-डोमेन युद्ध के लिए समुद्र, जमीन और वायु से समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

C. व्यापक रक्षा सुधार

- चल रही पहलों के साथ संरेखित करता है:
    - थिएटर कमांड का निर्माण,
    - इंटरऑपरेबिलिटी में वृद्धि,
    - सामान्य खरीद और एकीकृत रसद।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक निहितार्थ

A. समुद्री खतरे का पर्यावरण

- हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती उपस्थिति ASW प्लेटफार्मों को महत्वपूर्ण बनाती है।
- बंदरगाहों, आर्थिक परिसंपत्तियों और तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भारत की समुद्री रणनीति का केंद्र बन रही है।

B. भारत की "नियर सी डोमिनेंस" रणनीति का पूरक

- आईएनएस माहे का योगदान है:
    - बढ़ी हुई तटीय निगरानी,
    - तटीय युद्ध क्षमता,
    - शत्रुतापूर्ण पानी के नीचे पहुंच से इनकार,
    - निरोध मुद्रा को मजबूत करना।

C. बेड़े का विस्तार

- माहे अपनी श्रेणी में आठ का प्रमुख जहाज है - जो एएसडब्ल्यू क्षमता का विस्तार करने के लिए एक संरचित योजना का संकेत देता है।

समाप्ति

आईएनएस माहे का शामिल होना भारत की समुद्री सुरक्षा वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपने स्वदेशी डिजाइन और उन्नत पनडुब्बी रोधी क्षमताओं के साथ, यह हिंद महासागर क्षेत्र में निकट-तटीय प्रभुत्व बनाए रखने और रणनीतिक हितों की रक्षा करने की नौसेना की क्षमता को मजबूत करता है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर प्रतीकात्मक जोर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो बहु-डोमेन खतरों के युग में एकीकृत रक्षा तैयारियों की दिशा में भारत के परिवर्तन को दर्शाता है। माहे-श्रेणी के जहाज एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और समन्वित समुद्री रक्षा मुद्रा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: आईएनएस माहे को मुख्य रूप से संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है:

(a) गहरे समुद्र में नीले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियान

(b) तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियान

(c) उभयचर लैंडिंग संचालन

(d) लंबी दूरी के वाहक अनुरक्षण मिशन

उत्तर : b)

□□□□□ □□□□□□

Page 10 : GS 3 : Environment / Prelims

सड़क की धूल, जिसमें मुख्य रूप से PM_{10} और मोटे कण शामिल हैं, भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में शहरी वायु प्रदूषण में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत – जिसका लक्ष्य 2025-26 तक पीएम $_{10}$ के स्तर में 40% की कमी लाना है – सड़क की धूल को नियंत्रित करना प्राथमिकता है। महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और संस्थागत तंत्र के बावजूद, परिणाम असमान रहे हैं, जिससे शासन, योजना और वैज्ञानिक कार्यान्वयन पर सवाल उठते हैं।

□□□□□ □□□□□□□

Where does road dust settle in India's efforts to clean its air?

Dust pollution is mainly caused by unscientific practices during the development of roads and maintenance; the collected dust is typically discarded in landfills or on the roadsides, from where the wind easily carries it back into the cities, rendering the entire process of sweeping ineffective

Charu Tyagi
Swagata Dey

Road dust mainly comprises PM_{10} and coarse particles and forms a large share of the air we breathe. With the National Clean Air Programme (NCAP) aiming for a 40% reduction in PM_{10} by 2025-2026, reducing road dust is an urgent priority.

This is reinforced by source apportionment studies across 17 non-attainment cities that have found road dust to be a major contributor to PM_{10} (20-52%) as well as $PM_{2.5}$ (8-25%) particles. IIT-Delhi researchers have also recorded that streets in 32 cities across Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Telangana vary widely vis-à-vis their silt loads, from 0.2 g/m² to 111.2 g/m²; Delhi averages 14.47 g/m².

Overall, cities in North India have heavier silt loads and are thus dustier than their southern counterparts.

In response, governments have already invested heavily in fighting dust. Per a 2024 report by the Centre for Science and Environment, ₹19,711 crore was allocated to 131 cities between 2019 and 2025 under the NCAP to improve air quality. By November 2023, nearly 64% of the total fund had been spent on road dust control, far more than what was spent on tackling biomass burning, vehicular pollution, and capacity-building efforts.

While this suggests that there's a prioritisation, it's essential to assess effectiveness on the ground.

Policy landscape

Efforts to control road dust have been underway for several years. In January 2018, the Union Environment Ministry issued a notification to mitigate dust at construction sites, mandating paving and blacktopping of roads leading up to such sites. In 2021, the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) recommended the establishment of 'Dust Control and Management Cells'. Following statutory directions from the CAQM, 68 Cells were set up to undertake a comprehensive set of actions, including identifying dust hotspots, paving and repairing roads and roadsides, greening central verges and roadsides, and deploying mechanised road-sweeping machines and anti-smog guns. The CAQM periodically reviews these activities. However, dust from roads and open areas remains a major driver of poor air quality in Delhi-NCR.

To strengthen its approach, the CAQM initiated a study called 'Addressing vehicular traffic-induced road dust resuspension for air quality action plans' in 2025. In the pilot phase, 24% of 82 km of assessed road length was found to be in poor condition, 42% moderate, and 34% good. The CAQM also set up a committee to develop a 'Standard Framework for Controlling Dust Pollution from Roads and Open Areas'.

Both initiatives recommended multiple activities, including paving and greening, for the NCR states as well as additional steps such as digital mapping of all roads in Delhi-NCR and conducting comprehensive road condition surveys.

As is evident, these efforts were focused on Delhi-NCR whereas similar measures and institutional mechanisms are needed across India. Indeed, the Environment (Protection) Act 1986 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 make broad references to road dust management. The Construction and Demolition Waste Management Rules 2025 don't outline specific regulations addressing road dust control at the national scale, however. There are also no standard operating procedures to scientifically dispose of the dust collected by manual and mechanised sweeping to prevent resuspension.

Jurisdictional puzzle

While the NCAP, the CAQM guidelines, and city action plans prioritise control options such as paving roads and roadsides, sprinkling water, and so on, the outcomes remain uneven.

Even with 64% of the total NCAP fund spent on road repair and maintenance, 29 cities have reported an increase in PM10 concentrations. Of the 68 cities where the local PM10 concentration dropped, 61 were above the National Ambient Air Quality Standards, pointing to the limited effectiveness of extant interventions.

One major challenge is fragmented jurisdiction.

Under the NCAP, municipal corporations and State Pollution Control Boards are required to curb road dust. In practice, however, the responsibility is split across multiple agencies. In Delhi, 12 agencies – including the Municipal Corporation, the Delhi Development Authority, the Central Public Works Department, and the National Highways Authority of India – maintain roads. Similarly, 18 agencies are involved in Uttar Pradesh, 22 in Haryana, and 16 in Rajasthan. Without clearly demarcated roles, funds and accountability become diffused. Operational constraints add to the problem. Of Delhi's total road length of 19,000 km, only 8,000 km has been identified for mechanised sweeping. Around 200 mechanised road-sweeping machines (each operating at 40 km/hr) are required to clean this stretch every day. Yet the number of such machines in Delhi is only 85. This gap is much wider in other cities, underscoring the need to properly estimate road length and for machine mapping. Road dust management guidelines should also be established to define the appropriate type of cleaning and maintenance machinery based on road width, surface type, traffic conditions, debris characteristics, water availability, and seasonal variations.

Even with 64% of the NCAP fund spent on maintenance, 29 cities reported an increase in PM10 concentrations. Of the 68 cities where local PM10 concentration dropped, 61 were above the National Ambient Air Quality Standards

Finally, to ensure agencies coordinate better, a GIS-based platform should be created to allow them to monitor and resolve complaints in real-time, thus improving accountability. Such a system can be integrated with existing applications, such as the Green Delhi App and Swachhata App, to improve coordination and response.

Practical measures

Dust pollution is mainly caused by unscientific practices during road development and maintenance. The collected dust is typically discarded in landfills or on roadsides, wherefrom the wind easily carries it back into cities, rendering the entire sweeping process ineffective.

Dust suppressant chemicals such as calcium chloride, magnesium chloride, and natural polymer-based agents (e.g. lignosulphate and bitumen-based emulsions) are widely available. However, their effectiveness and impact on soil and road health aren't well documented. We need scientifically informed mitigation strategies, including guidelines for using dust suppressants and scientific disposal mechanisms for collection.

Addressing road and open-area dust across India will require a holistic and time-bound appeoach, embedded within a long-term, sustainable urban planning framework.

A comprehensive, science-based regulatory mechanism for cleaner road construction and maintenance, considering open roadsides and air quality as critical components of infrastructure development plans, is essential.

Thoughtfully designed and consistently implemented dust control strategies can significantly enhance air quality, protect public health, and help build more resilient and liveable cities.

Efforts to control road dust have been underway in India for several years. Representative photo. SUBHASISH DUTTA/UNSPLASH

(Charu Tyagi is a senior associate and Swagata Dey heads the Air Quality Policy and Outreach team, both at the Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), a research-based think tank. charudec10@gmail.com, swagata.dey@cstep.in)

मुख्य विश्लेषण

1. समस्या की सीमा

- सड़क की धूल PM_{12} का 20-52% और PM_{2} का 8-25% योगदान देती □□।$_5$ कई गैर-प्राप्ति शहरों में।

- गाद का भार काफी भिन्न होता है: 0.2 ग्राम/वर्ग मीटर से 111 ग्राम/वर्ग मीटर, दिल्ली में औसतन 14.47 ग्राम/वर्ग मीटर - उच्चतम में से।
- शुष्क जलवायु, उच्च निर्माण तीव्रता और खराब सड़क रखरखाव के कारण उत्तर भारतीय शहरों में दक्षिणी शहरों की तुलना में काफी भारी गाद का भार है।

2. नीति और संस्थागत प्रतिक्रियाएँ

A. सरकार की अब तक की कार्रवाई

- 2018 अधिसूचना: निर्माण स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों का आवश्यक फ़र्श/ब्लैकटॉपिंग।
- 2021–23: CAQM ने धूल नियंत्रण और प्रबंधन कोशिकाओं की सिफारिश की; एनसीआर में ऐसे 68 सेल स्थापित किए गए हैं।
- उपायों में शामिल हैं:
    - धूल के हॉटस्पॉट की पहचान करना
    - सड़कों को फ़र्श और मरम्मत करना
    - हरियाली वाली सड़क के किनारे
    - मशीनीकृत स्वीपिंग
    - एंटी-स्मॉग गन

B. प्रमुख वित्तीय धक्का

- एनसीएपी (2019-2025) के तहत, 131 शहरों को 19,711 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- अकेले सड़क धूल नियंत्रण पर खर्च की जाने वाली राशि का 64% - बायोमास जलाने या वाहनों के प्रदूषण की तुलना में बहुत अधिक।

C. नई पहल

- वाहन-प्रेरित धूल निलंबन (2025) पर सीएक्यूएम अध्ययन में पाया गया:
    - 24% सड़कें = खराब स्थिति
    - 42% = मध्यम
    - 34% = अच्छा

- एक समिति धूल नियंत्रण और रोड मैपिंग के लिए एक मानक ढांचा तैयार कर रही है।

लेकिन इनमें से अधिकांश प्रयास दिल्ली-एनसीआर केंद्रित हैं, जिनमें एक समान राष्ट्रीय कार्यान्वयन का अभाव है।

3. लगातार चुनौतियाँ

A. खंडित क्षेत्राधिकार

- कई एजेंसियां सड़कों का रखरखाव करती हैं, जिससे जवाबदेही बिखरी हुई है:
    - दिल्ली: 12 एजेंसियां
    - यूपी: 18
    - हरियाणा: 22
    - राजस्थान: 16
- ओवरलैपिंग जिम्मेदारियाँ रखरखाव में देरी करती हैं और समन्वय को बाधित करती हैं।

B. परिचालन अंतराल

- दिल्ली को 200+ मशीनीकृत स्वीपर की जरूरत है; केवल 85 है।
- 19,000 किलोमीटर में से केवल 8,000 किलोमीटर की पहचान मशीनीकृत सफाई के लिए की गई है।

C. अक्षम धूल निपटान

- एकत्रित धूल को इसमें डंप किया जाता है:
    - लैंडफिल
    - सड़क के किनारे का मार्जिन

हवा इसे हवा में फिर से पेश करती है - जिससे स्वीपिंग अप्रभावी हो जाती है।

D. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का अभाव

- इसके लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है:
    - धूल निपटान

- स्वीपिंग मशीन का प्रकार आवश्यक है
- धूल दमनकारी दवाओं का उपयोग

- सी एंड डी अपशिष्ट नियम, 2016 (पुनर्मुद्रण के बाद अद्यतन 2025), सड़क धूल प्रबंधन मानदंडों को निर्दिष्ट नहीं करता है।

4. PM10 का स्तर अभी भी क्यों बढ़ रहा है

- उच्च खर्च के बावजूद, 29 शहरों में PM_{12} में वृद्धि देखी गई।
- कटौती वाले 68 शहरों में से 61 अभी भी NAAQS सीमा से अधिक हैं।
- इंगित:
  - खराब सड़क रखरखाव
  - अप्रभावी स्वीपिंग
  - अपूर्ण कवरेज
  - कमजोर प्रवर्तन
  - धूल के पुनर्निलंबन के पक्ष में जलवायु की स्थिति

5. क्या बदलने की जरूरत है (आगे का रास्ता)

A. शासन सुधार

- एजेंसियों के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट सीमांकन।
- सड़क रखरखाव और शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए जीआईएस-आधारित मंच।
- ग्रीन दिल्ली ऐप, स्वच्छता ऐप के साथ एकीकरण।

B. वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन

- इसके लिए मानक दिशानिर्देश:
  - सड़क का डिजाइन और सरफेसिंग
  - धूल दमनकारी

- एकत्रित धूल का निपटान

- मशीनरी को सड़क की चौड़ाई, यातायात भार, मौसम और मलबे के प्रकार से मिलान करें।

C. राष्ट्रीय स्तर का विस्तार

- सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों के लिए एनसीआर दृष्टिकोण का विस्तार करें।
- सड़क की धूल प्रबंधन को दीर्घकालिक शहरी नियोजन का हिस्सा बनाएं, न कि आपातकालीन उपायों का।

D. बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

- मशीनीकृत स्वीपिंग बढ़ाएँ
- गड्ढों की उचित मरम्मत सुनिश्चित करें
- सड़क के कंधों को हरा-भरा और स्थिर करना

समाप्ति

पर्याप्त वित्तीय निवेश और एनसीएपी और सीएक्यूएम के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के बावजूद सड़क की धूल भारत के स्वच्छ वायु प्रयासों को कमजोर कर रही है। खंडित क्षेत्राधिकार, खराब रखरखाव, अवैज्ञानिक निपटान प्रथाओं और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की कमी का सीमित प्रभाव है। सड़क की धूल को स्थायी रूप से कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और भारत के स्वच्छ वायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शहरी नियोजन के साथ एकीकृत एक देशव्यापी, विज्ञान-संचालित, समन्वित ढांचा आवश्यक है। विचारशील कार्यान्वयन, जवाबदेही और तकनीकी समाधान रहने योग्य और लचीले भारतीय शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में सड़क धूल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सड़क की धूल PM□ की तुलना में PM□□ प्रदूषण में अधिक योगदान देती □□ I_5 कई भारतीय शहरों में प्रदूषण।

2. दक्षिण भारत के शहरों में आम तौर पर उत्तरी भारत के शहरों की तुलना में सड़कों पर गाद का भार अधिक होता है।

3. एनसीएपी के तहत, अब तक जारी कुल धनराशि का आधे से अधिक हिस्सा सड़क धूल नियंत्रण पर खर्च किया गया है।

कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: चर्चा करें कि समान नीतिगत ढांचे के बावजूद उत्तरी भारतीय शहर दक्षिणी भारतीय शहरों की तुलना में धूल भरे क्यों हैं। क्षेत्र-विशिष्ट समाधान सुझाएं। **(150 शब्द)**

Page : 10 : Editorial Analysis

What does the SC's advisory opinion imply?

What were the questions raised by the Presidential reference as a result of a judgment delivered in April 2025? What were the key points delivered by the Supreme Court in its opinion? Should Governors act on the aid and advice of the Council of Ministers?

EXPLAINER

Rangarajan.R

The story so far:

The Supreme Court has provided its opinion on a Presidential reference made under Article 143. In its opinion, it has largely negated the decision of a two-judge Bench that was delivered in April 2025.

What was the Presidential reference?

The current reference is the result of a two-judge Bench judgment in *State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu* in April 2025, that had specified a timeline of three months for Governors and the President to act on Bills passed by State legislatures. The court held that decisions by Governors and the President on such Bills are subject to judicial review. It had exercised its extraordinary power under Article 142 and granted 'deemed assent' to Bills passed by Tamil Nadu assembly that were not assented to by the Governor.

The present reference had raised 14 questions, primarily surrounding the interpretation of Articles 200 and 201, for the court's opinion. These questions deal with the authority of the courts to prescribe timelines when they are not specified in the Constitution. The government had questioned whether the actions of Governors and the President can be made justiciable at a stage prior to the enactment of a Bill into a law. The reference also sought an opinion on the extent of powers that can be exercised by the Supreme Court under Article 142.

What is the current opinion?

A five-judge Bench of the top Court delivered its opinion on the questions raised. It stated that this reference was a 'functional reference', that strikes at the root of day-to-day functioning of constitutional functionaries and the interplay between State legislature, Governor and the President. Key points of the opinion are summarised below.

The Supreme Court of India. GETTY IMAGES

First, the Governor has three constitutional options under Article 200 when a Bill passed by State legislature is presented for his/her assent, namely to assent, or reserve the Bill for consideration of the President, or withhold assent and return the Bill to legislature with comments. Second, the Governor enjoys discretion in choosing from these three options and is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers. Third, the discharge of functions by the Governor under Article 200 is not justiciable but in case of glaring circumstances of prolonged and unexplained inaction, the court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his/her function on Bills presented. Fourth, in the absence of constitutionally prescribed time limits, the court cannot judicially prescribe timelines for action by the President or Governor. Fifth, the decisions of the President and Governor under Articles 201 and 200 respectively are not justiciable before a Bill is enacted into a law. Finally, the powers of the Supreme Court under Article 142 cannot substitute the powers vested on the President/Governor under the Constitution. Hence, there is no allowance for the concept of 'deemed assent' of Bills.

What are the issues?

The Sarkaria Commission (1987), had opined that it is only the reservation of Bills for consideration of the President, that too under rare cases of patent unconstitutionality, that can be implied as a discretionary power of the Governor. The Supreme Court in various cases including in *Shamsher Singh* (1974) and *Nabam Rebia* (2016), had held that the Governors should act on the aid and advice of the Council of Ministers. However, in the present opinion, the court has interpreted these cases to conclude that actions under Article 200, with respect to a Bill presented for assent, fall under the discretionary powers of the Governor. This has the potential to derail the legislative intent of popularly elected State governments.

With respect to time limits, the Punchhi Commission (2010), had recommended that the Governor should take a decision with respect to a Bill presented for his/her assent within a period of six months. The court in its own judgment in the *K. M. Singh* case (2020), had stipulated a time limit of three months for Speakers to decide on disqualification petitions though no time limit has been prescribed in the Constitution. The verdict of the division bench in the *State of Tamil Nadu* case to provide time limits to Governors and the President was a purposive and progressive interpretation of the Constitution. The current opinion has negated this position.

What can be the way forward?

The underlying disease that has plagued our federal set up has been the politicisation of the gubernatorial post. The Governor acts as an appointee of the Centre for maintaining unity and integrity of the nation. However, federalism is also a basic feature of our Constitution. This opinion should not become an alibi for the Governor's office to thwart the policies of popularly elected houses in the States. The Governors should display responsible urgency in providing assent to Bills passed by State legislatures.

Rangarajan.R is a former IAS officer and author of 'Courseware on Polity Simplified'. He currently trains at 'Officers IAS Academy'. Views expressed are personal.

THE GIST

- The current reference is the result of the judgment in *State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu* that had specified a timeline of three months for Governors and the President to act on Bills passed by State legislatures.
- The present reference had raised 14 questions, primarily surrounding the interpretation of Articles 200 and 201, for the court's opinion.
- With respect to time limits, the Punchhi Commission (2010), had recommended that the Governor should take a decision with respect to a Bill presented for his/her assent within a period of six months.

GS. Paper 2 भारतीय राजनीति

UPSC Mains Practice Question : उच्चतम न्यायालय के इस दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। शमशेर सिंह (1974) और नबाम रेबिया (2016) जैसे पहले के फैसलों की तुलना इसकी तुलना कैसे की जाती है? **(250 शब्द)**

संदर्भ:

नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 143 के तहत एक सलाहकार राय दी, जो अप्रैल 2025 के विवादास्पद दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद सामने आए राष्ट्रपति के संदर्भ का जवाब दिया। इससे पहले के फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था और यहां तक कि राज्यपाल के पास अटके तमिलनाडु के कुछ विधेयकों को 'डीम्स इंसेंट' भी दी गई थी।

वर्तमान सलाहकार राय उस निर्णय के सार को खारिज कर देती है और निर्वाचित राज्य सरकारों और नाममात्र की कार्यकारी (राज्यपाल/राष्ट्रपति) के बीच संवैधानिक संबंधों की फिर से जांच करती है, जिससे यह केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद में एक ऐतिहासिक विकास बन जाता है।

पृष्ठभूमि: राष्ट्रपति के संदर्भ का क्या कारण था?

अप्रैल 2025 का फैसला (तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल):

- विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों/राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समयसीमा तय की गई।
- माना गया कि विधेयकों पर उनके निर्णय न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य हैं।
- अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों को सहमति दी।

राष्ट्रपति का संदर्भ क्यों मांगा गया?

केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की और इस पर स्पष्टता मांगी:

एक. क्या अदालतें संविधान के चुप रहने पर समयसीमा निर्धारित कर सकती हैं।

दो. क्या विधेयकों के अधिनियमन से पहले राज्यपालों/राष्ट्रपति के निर्णय न्यायोचित हैं।

तीन. क्या सुप्रीम कोर्ट डीम्ड सहमति देने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग कर सकता है।

चार. क्या अनुच्छेद 200-201 के तहत कार्य राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आते हैं या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर आधारित होना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष कुल 14 प्रश्न रखे गए।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष (सलाहकार राय)

1. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं

जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है:

- सहमति, या
- सहमति रोकें और टिप्पणियों के साथ विधेयक वापस करें, या
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखिए।

2. राज्यपाल इन विकल्पों में से चुनने में विवेक का प्रयोग कर सकता है

न्यायालय ने कहा:

- अनुच्छेद 200 के तहत कार्रवाई के लिए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है।
- यह पहले की मिसालों (शमशेर सिंह, नबाम रेबिया) से एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

3. अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कार्रवाई न्यायोचित नहीं है

- किसी विधेयक के कानून बनने से पहले अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।
- लेकिन लंबे समय तक, अस्पष्टीकृत निष्क्रियता के मामलों में, न्यायालय "प्रदर्शन सुनिश्चित करने" के लिए एक सीमित परमादेश जारी कर सकता है, बिना यह तय किए कि कैसे निर्णय लिया जाए।

4. अदालतें समय सीमा नहीं लगा सकती

- चूंकि संविधान में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए न्यायपालिका इसे नहीं बना सकती है।
- यह सीधे तौर पर अप्रैल 2025 के तीन महीने की समयरेखा के फैसले को नकारता है।

5. कोई "समझी गई सहमति" नहीं

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अनुच्छेद 142 शक्तियां राष्ट्रपति/राज्यपाल में निहित संवैधानिक शक्तियों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं।
- इसलिए, डीम्ड सहमति की अवधारणा असंवैधानिक है।

मुद्दों और चिंताओं पर प्रकाश डाला गया

1. अनुच्छेद 200 के तहत विवेक विवादास्पद है

- सरकारिया आयोग (1987): राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति केवल पेटेंट असंवैधानिकता के मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में सहायता और सलाह पर काम करने पर जोर दिया गया था (शमशेर सिंह; नबाम रेबिया)।
- नई व्याख्या राज्यपालों को निर्वाचित राज्य सरकारों में देरी या बाधा डालने में सक्षम बनाने का जोखिम उठाती है।

2. समयसीमा की अनुपस्थिति देरी को प्रोत्साहित करती है

- पुंछी आयोग (2010) ने 6 महीने की अवधि की सिफारिश की।
- न्यायिक रूप से अनिवार्य समय-सीमा कहीं और मौजूद थी (उदाहरण के लिए, केएम सिंह, वक्ताओं के लिए 2020)।
- समयसीमा से इनकार विधायी सर्वोच्चता को कमजोर कर सकता है और शासन में बाधा डाल सकता है।

3. संघवाद की चिंताएं

- राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, लेकिन वे राज्यों के भीतर कार्य करते हैं।
- अत्यधिक विवेक नाजुक संघीय संतुलन को विकृत कर सकता है।

केंद्र-राज्य संबंधों और शासन के लिए निहितार्थ

1. राज्यपाल के विवेक को मजबूत करना

- राजनीतिक कारणों से सहमति को रोकने या देरी करने के लिए राज्यपालों को प्रोत्साहित कर सकता है।
- निर्वाचित राज्य सरकारों के साथ संभावित टकराव।

2. न्यायिक निरीक्षण को सीमित करना

- समय पर विधायी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की क्षमता को कम करता है।

3. राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की अधिक आवश्यकता

- राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और जवाबदेही में सुधार और अधिक जरूरी हो जाते हैं।

4. विधायी पक्षाघात का खतरा

- यदि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के सहमति रोक देता है, तो विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है।

समाप्ति

सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय औपचारिक संवैधानिक स्थिति को फिर से स्थापित करती है, अनुच्छेद 200-201 के तहत राज्यपालों को महत्वपूर्ण विवेक देती है, जबकि न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करती है और डीम्ड सहमति की अवधारणा को अस्वीकार करती है। हालांकि संवैधानिक रूप से रूढ़िवादी, यह राय कार्यकारी अतिरेक, राजनीतिक दुरुपयोग और संघीय संतुलन के लिए खतरों के बारे में चिंता पैदा करती है, खासकर जहां राज्यपाल और राज्य सरकारें प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक संबद्धताओं से संबंधित हैं।

आगे बढ़ते हुए, जिम्मेदारी राज्यपालों की है कि वे संवैधानिक नैतिकता, संयम और जिम्मेदार तात्कालिकता के साथ विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि भारतीय संघवाद का स्वास्थ्य न केवल सख्त संवैधानिक पाठ पर निर्भर करता है, बल्कि उस भावना पर भी निर्भर करता है जिसमें संवैधानिक पद संचालित होते हैं।